

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए


4-5-2016 पत्रावली आज पेशी में ली गई।
दि० 11-5-2016 को ग्राम पंचायत सलेमपुर
में न्याय आपके द्वारा राजस्व शिबिर होना
है। अतः पत्रावली कैम्प कोर्ट में मुख्यालय
सलेमपुर पर पेश हो।


उप जिला कोर्ट
गंगापूर सिटी

11-5-2016 पत्रावली कैम्प कोर्ट सलेमपुर
पर पेश हुई। वादी रामकिशन उपास्थित है।
वादी के बयान दर्ज किए गए। वादी को
सुना गया। ख० नं० 189 रकबा 30 सयरा
ग्राम फरासपुर वादीगण की खातेदारी की
भूमि है जिसके कब्जे काश्त उपयोग उपभोग
में बाधा डालने का प्रतिवादीगण को कोई
अधिकार नहीं है। अतः वादीगण का वाद
डिफेंड किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई
निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि
वे वादीगण को उनकी खातेदारी की भूमि
ख० नं० 189 रकबा 30 सयरा ग्राम फरासपुर
के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में
किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।
पचा डिफेंड जारी किया जावे। पत्रावली
कैसल नुमांर होकर नम्बर से कम हो एवं
बाद तकमील कारकिल दफ्तर हो।

रामकिशन

निर्णय आज दि० 11-5-16 को लोक
अदालत कैम्प कोर्ट सलेमपुर में सुनाया गया।


(मुनिदेव यादव)

142-44
4516

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापूर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) सलेमपुर

पीठासीन अधिकारी:- मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

(उनवान पृष्ठ भाग पर अंकित है।)

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. - 96/2015

वादी की ओर से वादी रामकिशन व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी कोई नही की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 11.5.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पत्रावली प्रस्तुत होने पर वादी को सुना गया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। ख0न0 189 रकबा 30 एयर ग्राम फरासपुर वादीगण की खातेदारी की भूमि है। जिसके कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा डालने का प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नही है। अतः प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण को उनकी खातेदारी की भूमि ख0न0 189 रकबा 30 एयर ग्राम फरासपुर के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी बाधा उत्पन्न नही करे।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 11.5.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



मुनिदेव यादव
11.5.2016
उपखंड अधिकारी
गंगापूर सिटी
केम्प सलेमपुर

	वाद के खर्चे		
वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 कश्तपत्र के लिए स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	/
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	

उनवान

1. रामस्वरूप पुत्र मूला, गुर्जर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी
2. रामकिशन पुत्र मूला, गुर्जर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी

--वादीग

बनाम

1. रामचरण पुत्र मिलखे गुर्जर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी
2. जीतराम पुत्र मिलखे गुर्जर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी
3. शिवसिंह पुत्र जीतराम गुर्जर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी
4. प्रेमसिंह पुत्र जीतराम गुर्जर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी
5. रामनिवास पुत्र हरभान गुर्जर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी
6. चेताराम पुत्र रामनिवास गुर्जर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी
7. विजेन्द्र पुत्र रामनिवास गुर्जर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी
8. मुनीम पुत्र रामनिवास गुर्जर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी
9. रूपसिंह पुत्र हंसराज गुर्जर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी
10. ज्ञानसिंह पुत्र हंसराज गुर्जर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी

--प्रतिवादीग

दावा स्थाई निषेधाज्ञा



उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
कैम्प सल्लेमपुर